1/11/2021
DROP

25/10/2021

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत तहसीलदार (राजस्व) मुकाम नोहर स्टेट बनाम सुलतान पुत्र मुणाराम जाति मेघवाल निवासी अरडकी किस्म मुकदमा धारा 22 उप0 अधि0 1954 मु0नं0 25 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
18.10.21	पटवारी हल्का अरडकी द्वारा ग्राम अरडकी के अप्रार्थी सं0 सुलतान पुत्र मुणाराम जाति मेघवाल निवासी अरडकी द्वारा गै0मु0 गोचर के ख0न0 387/1 की लगभग 2 हैक्टेयर में ग्वार संवत् 2078 खरीफ फसल काश्त कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पेश करने पर पत्रावली पेशी में ली गयी। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को राज. उप. अधि. 1954 की धारा 22 के तहत नोटिस जारी किया जावे एवं चूँकि फसल कटाई का समय नजदीक है अतः गिरदावर हल्का कस्बा नोहर को फसल कुर्क करने एवं निलामी कर वास्ते स्वीकृति पेश करने हेतु लिखा जाकर कुर्की एवं निलामी रिपोर्ट आने पर पत्रावली पेश हों। ह0	O.M. ILR 1009 18/10/21 Patwari 1010 18/10/21 अप्रार्थी 1011 18/10/2021
20/10/21	प्र.आ.नि. कस्बा नोहर द्वारा कुर्की रिपोर्ट पेश करने पर पत्रावली पेशी मे ली गई। ILR कस्बा नोहर द्वारा निलामी दिनांक 25/10/21 नियत की गई। अप्रार्थी को जारी नोटिस प्राप्त नहीं। अतः पत्रावली दिनांक 25/10/2021 को पेश हों। ह0	
25/10/2021	प्र.आ.नि. कस्बा नोहर द्वारा रिपोर्ट पेश करने पर पत्रावली पेशी मे ली गयी। उपस्थित ILR रिपोर्ट निलामी पर [illegible] उपस्थित होने पर आदिनांक निलामी कार्यवाही स्थगित की गई। ILR कस्बा नोहर को पुनः दिनांक 28/10/21 को पुनः 11 बजे निलामी करवाने हेतु आदेश जारी किया जावे एवं SHO नोहर को [illegible] हेतु उचित जाब्ता [illegible] लिखा जावे एवं [illegible] रिपोर्ट की प्रति उपखण्ड हेतु लिखा जावे। ILR द्वारा रिपोर्ट आने पर पत्रावली पेश हो। ह0	ILR 1164 25/10/21 SHO नोहर 1165 25/10/21 पा.ह. 1166 25/10/21

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Kiroriwal
Date: 2021.11.11 17:31:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी तहसीलदार (राजस्व) नोहर

प्रकरण संख्या 25 सन् 2021

राज.सरकार

बनाम

सुलतान पुत्र मुणाराम जाति मेघवाल साकिन अरडकी

अन्तर्गत धारा 22 राज. उप. अधिनियम 1954

निर्णय दिनांकः– 01.11.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का ललानिया ने एक रिर्पोट पी 14 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी सुलतान पुत्र मुणाराम जाति मेघवाल साकिन अरडकी द्वारा गै0मु0 गोचर की भूमि खसरा नं. 387/1 की लगभग 2 है0 भूमि पर ग्वार की नाजायज काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है पटवारी हल्का की रिर्पोट प्राप्त होने पर अप्रार्थीगणों के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 22 राज.उप. अधिनियम 1954 का प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु राज.उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत नोटिस दिया गया अप्रार्थी घर पर नही मिलने के कारण अप्रार्थी की धर्मपत्नि से तामिल होकर प्राप्त हुआ है जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का पूर्ण अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण को बार–बार आवाजे लगवाई फिर भी अप्रार्थी उपस्थित नहीं। अप्रार्थी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पटवारी हल्का अरडकी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्व प्रश्नगत भूमि पर नाजायज काश्त करने की रिपोर्ट प्रमाणित होती है। अतः अप्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर नाजायज अतिक्रमण करने के कारण अतिक्रमी घोषित किया जाता है। भू0अ0नि0 कस्बा नोहर को मौके से नाजायज अतिक्रमण को हटा कर अप्रार्थी को बेदखल करने हेतु आदेश जारी हो। अप्रार्थी को भू–राजस्व दर का 50 गुणा के बराबर तावान राशि लगभग रू. 220/– से दण्डित किया जाता है।

भू अभिलेख निरीक्षक हल्का कस्बा नोहर द्वारा कुर्क शुदा फसल को दिनांक 01.11.2021 को कुर्क शुदा फसल को निलाम किया गया उच्चतम बोली चेतराम पुत्र चानणराम जाति नाई साकिन सिरंगसर ने 33000 रूपए लगाई जो स्वीकृत की जाती हैं एवं अलग से आदेश जारी हो कि अतिक्रमीयों को मौके से बेदखल कर रिर्पोट पेश करे।

तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को क्रमशः मांग कायमी एवं वसूली हेतु अलग से आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

तहसीलदार (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Kiroriwal
Date: 2021.11.11 17:31:48 IST
Reason: SelfAttested

01.11.2021	पत्रावली पेशी में ली गई। भू.अभि.निरीक्षक से फर्द निलामी रिपोर्ट दिनांक 01.11.2021 को प्राप्त जो सामिल पत्रावली की गई। चेतराम पुत्र चानणराम जाति नाई साकिन सिरंगसर ने 33000 रूपए की लगाई जो बाद अनुमोदन दिनांक 01.11.2021 को स्वीकृत कर सामिल पत्रावली की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया अप्रार्थी को जारी नोटिय अप्रार्थी की पत्नि से बाद तामिल होकर प्राप्त हुआ है फिर भी अप्रार्थी हाजिर नही बार–बार आवाजे लगवाई फिर भी अप्रार्थी हाजिर नही। अतः अप्रार्थीग के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है पटवारी हल्का द्वारा अप्रार्थी सुलतान पुत्र मुणाराम जाति मेघवाल साकिन अरडकी द्वारा गै0मु0 गोचर की भूमि खसरा नं. 387/1 की लगभग 2 है0 भूमि पर ग्वार खरीफ फसल नाजायज काश्त करने की रिपोर्ट प्रमाणित होती है। अतः प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण अप्रार्थीगण को अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा भू.राजस्व का 50 गुणा के बराबर तावान राशि लगभग 220 रू0 से दण्डित किया जाता है। भू.अभि.निरीक्षक को अलग से आदेश दिये जाते है कि अतिकमी को प्रश्नगत भूमि से बेदखल किया जाकर पालना रिपोर्ट सात योम में भिजवाये। पटवारी हल्का/तहसील राजस्व लेखाकार को आदेशित किया जाता है कि तावान की मांग कायम कर वसूली कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 01.11.2021 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया । तहसीलदार(राजस्व) नोहर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Kiroriwal
Date: 2021.11.11 17:31:48 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

कार्यालयः तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ़

Phone No.: 01555-220187 Email: tdr.nohar@rajasthan.gov.in

क्रमांक / राजस्व / 2021 / 1009 दिनांकः– 18.10.2021

भू अभिलेख निरीक्षक
कस्बा नोहर

विषयः– ग्राम अरडकी के ख0न0 387/1 गै0मु0 गोचर की भूमि पर नाजायज फसल को कुर्क कर एवं निलाम कर निलामी स्वीकृति वास्ते पेश करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का अरडकी ग्राम अरडकी के ख0न0 387/1 गै0मु0 गोचर की भूमि पर अतिक्रमी सुलतान पुत्र मुणाराम जाति मेघवाल निवासी अरडकी ने लगभग 2 है0 पर नाजयज फसल ग्वार काश्त कर रखी है। चूँकि वर्तमान में फसल कटाई/निकलवाई का समय नजदीक है अतः आपको तुरंत प्रभाव से आदेशित किया जाता है अतिक्रमी सुलतान पुत्र मुणाराम जाति मेघवाल की के ख0न0 387/1 गै0मु0 गोचर की भूमि पर नाजायज ग्वार फसल को कुर्क कर एवं फसल निलाम कर निलामी स्वीकृति अन्दर तीन दिवस में पेश करे।

तहसीलदार (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ

क्रमांक / सम / 2021 / 1010 दिनांक 18.10.2021

प्रतिलिपिः–आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. पटवारी हल्का अरडकी को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित प्रकरण में भू–अभिलेख निरीक्षक कस्बा नोहर को सहयोग प्रदान करें।

तहसीलदार (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ

कार्यालय तहसीलदार (राजस्व) नोहर जि. हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Kiroriwal
Date: 2021.11.11 17:31:48 IST
Reason: SelfAttested

E:\revenue 2021\DHARA 22\Dhara 22 nilami.docx

रिपोर्ट हल्का पटवारी अरड़की

सेवा में,

श्रीमान तहसीलदार महोदय,
नोहर।

2152.
18/10/21

विषय :- ग्राम अरड़की के ख.नं. 387/1 व 389/1 गै.मु. गोचर पर अतिक्रमण के बारे में।

महोदय जी, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम अरड़की के ख.नं. 389/1 मौके पर खाली है व ख.नं. 387/1 में लगभग 2 हैक्टेयर भूमि पर सुलतान पुत्र मूनाराम जाति मेघवाल सा. अरड़की ने ग्वार की फसल काश्त कर रखी है व शेष रकबे में रा. प्रा. विद्यालय का पुराना भवन बना है। आज दिनांक को अतिक्रमी सुल्तान को फसल न काटने हेतु पाबन्द किया गया। रिपोर्ट उचित कार्यवाही हेतु श्रीमान जी की सेवा में पेश है।

ह.
प. अरड़की
18.10.21

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Kiroriwal
Date: 2021.11.11 17:31:48 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा मौका ग्राम अरड़की

आज दिनांक 18·10·2021 को श्रीमान तहसीलदार साहब नोहर के मोबाईल फोन द्वारा दिए गए आदेश से ग्राम अरड़की के ख.न. 387/1 व 389/1 गै.मु. गोचर पर पहुंची। मौके पर ख.न. 387/1 में लगभग 2 हैक्टे. में सुलतान पुत्र मुख्तारम जाति मेघवाल सा. अरड़की ने ग्वार की फसल काश्त कर रखी है। मौके पर ही अतिक्रमी को फसल न काटने हेतु पाबन्द किया गया। पर्चा मौका मौके पर बनाया जाकर उपस्थित मौतबिरान के हस्ताक्षर करवाए गए।

(हस्ताक्षर)
प. अरडकी
18.10.21

सुलतान

नेशगिर

भवण

अमरसिह

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Kiroriwal
Date: 2021.11.11 17:31:48 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

कार्यालयः तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ़

Phone No.: 01555-220187 Email: tdr.nohar@rajasthan.gov.in

क्रमांक / राजस्व / 2021 / 1009 दिनांकः– 18.10.2021

भू अभिलेख निरीक्षक
कस्बा नोहर

738
18/10/21

विषयः– ग्राम अरडकी के ख0न0 387 / 1 गै0मु0 गोचर की भूमि पर नाजायज फसल को कुर्क कर एवं निलाम कर निलामी स्वीकृति वास्ते पेश करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का अरडकी ग्राम अरडकी के ख0न0 387 / 1 गै0मु0 गोचर की भूमि पर अतिक्रमी सुलतान पुत्र मुणाराम जाति मेघवाल निवासी अरडकी ने लगभग 2 है0 पर नाजयज फसल ग्वार काश्त कर रखी है। चूँकि वर्तमान में फसल कटाई / निकलवाई का समय नजदीक है अतः आपको तुरंत प्रभाव से आदेशित किया जाता है अतिक्रमी सुलतान पुत्र मुणाराम जाति मेघवाल की के ख0न0 387 / 1 गै0मु0 गोचर की भूमि पर नाजायज ग्वार फसल को कुर्क कर एवं फसल निलाम कर निलामी स्वीकृति अन्दर तीन दिवस में पेश करे।

तहसीलदार (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ

क्रमांक / सम / 2021 / 1010 दिनांक 18.10.2021

प्रतिलिपिः–आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. पटवारी हल्का अरडकी को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित प्रकरण में भू–अभिलेख निरीक्षक कस्बा नोहर को सहयोग प्रदान करें।

तहसीलदार (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ

कार्यालय तहसीलदार (राजस्व) नोहर जि. हनुमानगढ़

19.10.21
प. अरडकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Kiroriwal
Date: 2021.11.11 17:31:48 IST
Reason: SelfAttested

E:\revenue 2021\DHARA 22\Dhara 22 nilami.docx
36

प्रारूप—क

(देखिये नियम 3)

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 22 के अधीन नोटिस

तहसीलदार (राजस्व) तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ के न्यायालय में मिसलेनियस केस संख्या 25 सम्वत् 2078 सरकार बनाम सुल्तान पुत्र मुणाराम जाति मेघवाल निवासी अरडकी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़

अतः आपने ग्राम अरडकी के गै0मु0 गोचर के ख0न0 387/1 की लगभग 2 हैक्टेयर की भूमि पर नाजायज फसल ग्वार काश्त कर अतिक्रमण अनधिभोगी सरकारी भूमि पर अतिचार किया है।

एतद् द्वारा आपको नोटिस दिया जाता है कि आपको जारी नोटिस दिनांक से सात दिवस में उक्त भूमि खाली कर देनी चाहिए या आपको व्यक्तिगत रूप से स्वयं या किसी प्लीडर द्वारा दिनांक 25.10.2021 के दिन समय 11 बजे हाजिर होना चाहिए और कारण बताना चाहिए कि क्यों नहीं आपको उससे बेदखल कर दिया जावें।

आपसे यह कारण बताया जाना भी आपेक्षित है कि सम्वत् 2078 के दौरान उक्त भूमि पर विचार करने के लिए वार्षिक लगान या कर निर्धारण, यथा स्थिति, को 50 गुनी तक शास्ति क्यों नही अधोरोपित की जावें।

यह ओर नोटिस दिया जावें कि आपने गत कृशि वर्श में उसी भूमि पर अधिकार किया था। यह नोटिस आपका वर्ष 2078 में हुए पचावर्ती अतिचार के संबंध में दिया जा रहा है। आपसे यह कारण बताया जाना भी आपेक्षित है कि क्यों नही आपको ऐसी अवधि के लिए सिविल कारागार के सुपूर्द कर दिया जाये व वार्षिक लगान या कर विवरण यथा स्थिति को 50 गुना तक शास्ति का संदाय करें।

यह नोटिस भी दिया जाता है कि उक्त तिथि को आपको हाजिर न होने पर, मामला आपकी अनुपस्थिति में विनिश्चित किया जायेगा।

आज दिनांक 18 अक्टूबर 2021 को दिन मेरे द्वारा हस्ताक्षारित एवं न्यायालय की मुद्रा अंकित की गई ।

(राज्य सरकार द्वारा अधिकृत)
तहसीलदार (राजस्व)
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Kiroriwal
Date: 2021.11.11 17:31:48 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

कार्यालयः तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ़

Phone No.: 01555-220187 Email: tdr.nohar@rajasthan.gov.in

क्रमांक / राजस्व / 2021 / 1009 दिनांकः— 18.10.2021

740
18/10/21

भू अभिलेख निरीक्षक
कस्बा नोहर

विषयः— ग्राम अरडकी के ख0न0 387 / 1 गै0मु0 गोचर की भूमि पर नाजायज फसल को कुर्क कर एवं निलाम कर निलामी स्वीकृति वास्ते पेश करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का अरडकी ग्राम अरडकी के ख0न0 387 / 1 गै0मु0 गोचर की भूमि पर अतिक्रमी सुलतान पुत्र मुणाराम जाति मेघवाल निवासी अरडकी ने लगभग 2 है0 पर नाजयज फसल ग्वार काश्त कर रखी है। चूँकि वर्तमान में फसल कटाई / निकलवाई का समय नजदीक है अतः आपको तुरंत प्रभाव से आदेशित किया जाता है अतिक्रमी सुलतान पुत्र मुणाराम जाति मेघवाल की के ख0न0 387 / 1 गै0मु0 गोचर की भूमि पर नाजायज ग्वार फसल को कुर्क कर एवं फसल निलाम कर निलामी स्वीकृति अन्दर तीन दिवस में पेश करे।

तहसीलदार (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ
दिनांक 18.10.2021

क्रमांक / सम / 2021 / 1010
प्रतिलिपिः—आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. पटवारी हल्का अरडकी को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित प्रकरण में भू—अभिलेख निरीक्षक कस्बा नोहर को सहयोग प्रदान करें।

तहसीलदार (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ

कार्यालय तहसीलदार (राजस्व) नोहर जि. हनुमानगढ़

19/10/2021

मुताबिक आदेश तामील कायमी की है

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Kiroriwal
Date: 2021.11.11 17:31:48 IST
Reason: SelfAttested

E:\revenue 2021\DHARA 22\Dhara 22 nilami.docx
36

कार्यालय तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक / राजस्व / 2021 / 1211 दिनांक: 01.11.2021

आदेश

इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 25 / 2021 में निर्णय दिनांक 01.11.2021 के द्वारा अप्रार्थी सुलतान पुत्र मुणाराम जाति मेघवाल निवासी अरडकी ख0न0 387 / 1 गै0मु0 गोचर की भूमि पर लगभग 2 है0 पर नाजयज फसल ग्वार काश्त नाजायज काश्त करने की पटवारी हल्का की रिर्पोट प्राप्त होने पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर भू0अ0नि0 कस्बा नोहर को अतिक्रमी को बेदखली आदेश दिया गया है तथा जुर्माना स्वरूप राशि 220 रूपये से तावान दण्डित किया गया है।

अतः उक्त अतिक्रमी को विवादित भूमि में किसी न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तुरन्त नियमानुसार बेदखल कर पालना रिपोर्ट सात दिवस में प्रस्तुत करे।

तहसीलदार (राजस्व)
नोहर

कमाक / राजस्व / 2021 / 1211 दिनांकः— 01.11.2021

प्रतिलिपिः—निम्न को पालनार्थ प्रेषित हैः—

1. तहसील राजस्व लेखाकार मांग कायमी हेतु।
2. भू.अभिलेख निरीक्षक कस्बा नोहर को भेजकर लेख है कि अतिक्रमी को मौके से बेदखल कर पालना रिपोर्ट सात योम में प्रस्तुत करें।
3. पटवारी हल्का अरडकी को भेजकर लेख है कि तावान की वसूली कर बेदखली की कार्यवाही करे।

तहसीलदार (राजस्व)
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Kiroriwal
Date: 2021.11.11 17:31:48 IST
Reason: SelfAttested

रिपोर्ट भू० अ० निरीक्षक नोहर

1069
20/11/21

सेवा में,

श्रीमान तहसीलदार सा.,
नोहर।

विषय:- ग्राम अरड़की के ख.नं. 387/1 गै.मु. गोचर में खड़ी फसल को कुर्क करने व निलामी के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- आ.क्र. /2021/100 दिनांक 18/10/2021 की पालना में

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमानजी के आदेशानुसार ग्राम अरड़की के ख.नं. 387/1 गै.मु.गोचर पर जाकर कुर्की की गई। कुर्क शुदा ग्वार की फसल को सुपुर्द कर, निलामी सूचना को पंचायत मुख्यालय अरड़की के नोटिस बोर्ड पर व सार्वजनिक स्थान ग्राम अरड़की में चस्पा कर रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में पेश है।

[signature]
20/10/2021
RI देईदास

संलग्न:- 1. पर्चा मौका कुर्की
2. निलामी सूचना प्रति

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Kiroriwal
Date: 2021.11.11 17:31:48 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा मौका कुर्की, ग्राम अरड़की, तह० नोहर

आज दिनांक 20/10/2021 को श्रीमान तहसीलदार (राजस्व) नोहर के आदेश क्रमांक/राजस्व/2021/009/दिनांक 18/10/2021 की पालना में ग्राम अरड़की के ख.नं. 387/1 रकबा 2.694 हे० गै० मु० गोचर पर पहुँचा। उक्त ख.नं. में बोए गए लगभग 2 हेक्टेयर ग्वार को कुर्क किया गया। उक्त ग्वार की फसल को मौके पर कुर्क कर श्रवण पु० काशीराम जाति चारण सा. अरड़की को सुपुर्द किया गया व उसे कहा गया कि उक्त ग्वार की फसल को कोई खुर्द-बुर्द, नष्ट करने या कोई काटने की कोशिश करे तो इसकी सूचना हल्का पटवारी ~~सोना~~ अरड़की को व मुझे फोन पर दें। मेरा ~~मेरा~~ मोबाइल नं. 7976439917 है। पर्चा मौका मौके पर बनाया गया व उपस्थित जनों के हस्ताक्षर करवाए गए।

[signature] 20/10/2021
भू.अ. देईदास

श्रवण

[signature]

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Kiroriwal
Date: 2021.11.11 17:31:48 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय भू० अ० निरीक्षक क्षेत्र-नोहर तह०-नोहर

दिनांक 20/10/2021

निलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमान तहसीलदार सा. (राजस्व) नोहर के आदेश क्र./100/2021 दिनांक 18/10/2021 की पालना में ग्राम अरड़की की ख.नं. 387/1 गैर मु० गोचर भूमि में लगायी गई 2 हैक्टेयर भूमि में कुकैमुड़ा ग्वार की फसलों को निलाम किया जाना है। अतः इच्छुक बोली दाता दिनांक 25/10/2021 को, उक्त खेत (पुराना राज० प्रा० विद्यालय अरड़की का भवन) के पास, उपस्थित रहकर, निलामी बोली में भाग ले सकता है। निलामी का समय प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा।

[signature] 20/10/2021
RI देईदास

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान तहसीलदार (राजस्व) नोहर को सूचनार्थ।
2. नोटिस चस्पा/ I. कार्यालय तहसीलदार नोहर के सूचना-पट्ट पर
   II पंचायत घर अरड़की के नोटिस बोर्ड पर।
   III. [illegible] ग्राम अरड़की

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Kiroriwal
Date: 2021.11.11 17:31:48 IST
Reason: SelfAttested

रिपोर्ट भू० अ० निरीक्षक नोहर, तह० नोहर

सेवा में,

श्रीमान तहसीलदार सा.,
नोहर।

विषय:- ग्राम अरड़की के ख०न० 387/1 गै०मु० गोचर में कुर्कशुदा फसल की निलामी के सम्बंध में।

प्रसंग:- आदेश क्र० / 25/10/2021 / राजस्व / 2021/1164 दिनांक 25/10/21 की पालना में।

राजस्व
[signature]
1/11/21

महोदय जी, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान जी के आदेशानुसार, पटवारी हल्का अरड़की व पुलिस जाब्ता के साथ ग्राम अरड़की के ख.नं. 387/1 की कुर्कशुदा फसल की उपस्थित मौतबिरान के समक्ष निलाम किया गया। फर्द निलामी उचित कार्यवाही हेतु श्रीमान जी की सेवा में पेश है।

संलग्न:- फर्द निलामी- पृष्ठ-3

[signature]
1/11/2021
RI नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Kiroriwal
Date: 2021.11.11 17:31:48 IST
Reason: SelfAttested

फर्द निलामी कार्यवाही ग्राम- अरड़की,

आज दिनांक 1/11/2021 को श्रीमान तहसीलदार सा. नोहर के आदेश क्र० / 25/10/2021 की पालना में ग्राम अरड़की के ख.नं. 387/1 गैरमु० गोचर भूमि पर खड़ी ग्वार की फसल की निलामी हेतु पटवारी हल्का अरड़की के साथ पँहुचा। मौके पर उपस्थित जनों को कहा गया कि जो व्यक्ति उक्त फसल की बोली लगाना चाहता है, वह 500 रु. अग्रिम जमा करवा कर बोली निलामी में भाग ले सकता है। अग्रिम राशि जमा कराने का समय सायं 3 बजे तक रहेगा। इसके बाद 4 से 5 बजे सायं तक निलामी बोली कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम अधिक बोलीदाता के नाम उक्त फसल छोड़ दी जावेगी व शेष बोली दाताओं को उनकी अग्रिम जमा राशि वापिस दे दी जावेगी, बोली निलामी जिसके नाम छुटेगी, उसकी अग्रिम जमा राशि जमा कर ली जावेगी। निलामी की कुल राशि का 1/4 भाग बोली खत्म होते ही, अधिक बोली लगाने वाले बोलीदाता को जमा करानी होगी। उक्त निलामी को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार तहसीलदार (राजस्व) नोहर के पास रहेगा। अस्वीकृत होने की स्थिति में पुन: निलामी की सुचना तहसीलदार (राजस्व) नोहर द्वारा जारी की जायेगी व स्वीकृत होने पर शेष निलामी राशि, तहसीलदार (राजस्व) नोहर के आदेशानुसार दिये गए समय / दिनांक तक जमा करानी होगी।

क्र.सं.	नाम बोलीदाता	[illegible] बोली रकम	II	III	
1.	राजेश S/o [illegible] अरड़की	27000-	—	—	राजेश
2.	नत्थूराम S/o हेतराम भारती, अरड़की	30000-	—		नत्थूराम
3.	सुनील कुमार S/o हरदेवाराम सहारण, अरड़की	25000-	28000-	32000-	sunil

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Kiroriwal
Date: 2021.11.11 17:31:48 IST
Reason: SelfAttested

परिशिष्ट – II

II

4. चेतराम पु० चानणराम नाई, सिंगरासर (नोहर) = बोली रकम I 21000, II 31000, III 33000/-

चेतराम

सायं 3 बजे तक 4 (चार) बोलीदाता बोली हेतु नामांकित किये गए। उसके बाद सभी की सहमति से बोली शुरू की गई।

इस प्रकार सभी बोलिदाताओं की सहमति से बोली एक-दो-तीन बोलकर अधिकतम बोली दाता चेतराम पु० चानणराम नाई सिंगरासर के नाम से छोड़ी गई व कुल बोली की 1/4 राशि तुरन्त जमा करवाई गई व उपस्थित जनों के हस्ताक्षर करवाए गए। आखरी अधिकतम बोली राशि 33000/- (अक्षरे तेतीस हजार रु०)

[signatures] 1.11.21 1/11/2021 RF नोहर

सुखबीर सिंह

अग्रिम राशि जमा व वापिसी रसीद

ग्राम - अरड़की

क्र.सं. - नाम बोलीदाता - जमाराशि - वापिस प्राप्ति के हस्ताक्षर

1. - राजेश S/o छगनलाल चौधरी अरड़की = 500 - राजेश
(6377629707)
2. नाथूराम S/o हेतराम भावली, अरड़की = 500 - नाथूराम
(8239477883)
3. सुनील कुमार S/o हरदेवराम सहारण, अरड़की = 500 - Sunil
(9828836746)
4. चेतराम S/o चानणराम नाई, सिरंगसर (मोहर) = 500 - राशि जमा की गई
(9772629378)

अर्प
1/11/2021
RI देईदास/मोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Kiroriwal
Date: 2021.11.11 17:31:48 IST
Reason: SelfAttested

रिपोर्ट भू० अ० निरिक्षक - नोहर, तह० - नोहर

सेवा में,

Revenue
28.10.2021

श्रीमान तहसीलदार जी,
नोहर।

विषय:- प्र० सं. 25/2021 ग्राम अरड़की के ख.नं. 387/1 गै०मु० गोचर की भूमि पर नाजायज कब्जा की कुर्क शुदा फसल की निलामी के संदर्भ में। आ.क्र./राजस्व/2021/1164 दिनांक 25/10/2021

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान जी के आदेशानुसार उक्त भूमि की कुर्क शुदा फसल की निलामी पुलिस जाब्ता के साथ दिनांक 27/10/2021 को करवानी थी। लेकिन 27/10/2021 को RAS Pre परीक्षा के कारण, पुलिस जाब्ता उपलब्ध नहीं हो सका, जिसकी सुचना श्रीमान जी को दे दी थी। श्रीमान जी के फोन पर दिये आदेशानुसार, उक्त फसल की निलामी आज दिनांक 28/10/2021 को करवाई जाए। आज फिर मैं पुलिस थाना नोहर में पुलिस जाब्ता हेतु गया तो उन्होंने कहा कि आज हम दुर्जेना, किसी विवाद में जा रहे हैं, इसकी सुचना भी श्रीमान जी को फोन पर दे दी है कि आज फिर उक्त फसल की निलामी कार्यवाही नहीं की जा सकती। [illegible] दिनांक 29/10/2021 को पटवारी हल्का अरड़की को [illegible] कर्मचारियों के साथ लगाकर [illegible] है। अतः रिपोर्ट उचित अरड़की सड़क सम्बंधी [illegible] कार्यवाही हेतु श्रीमान जी को [illegible] पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Kiroriwal
Date: 2021.11.11 17:31:48 IST
Reason: SelfAttested

[signature]
28/10/2021
RI नोहर